न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर (शहर)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति बिन्दु खत्री, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 2022/512

लेखराम पुत्र खेमाराम जाति–जाट सांगवा निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।

वादी..

बनाम

1. अनितादेवी पत्नि सुरेन्द्रकुमार जाति शर्मा निवासी प्लाट न.10 मरूधर नगर, तहसील व जिला बीकानेर।
2. पदमा पत्नि स्व. किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. प्रभूराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. किरण पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. गुड्डी पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. भागीरथ पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. झूम्मादेवी पत्नि स्व.भीखाराम जाति जाट सांगवा निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. बीरबल पुत्र भीखाराम जाति जाट सांगवा निवासी रिडमलसर खातेदार तहसील व जिला बीकानेर।
10. रामचन्द्र पुत्र भीखाराम जाति जाट सांगवा निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. गणेशाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट सांगवा निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर।

प्रतिवादीगण..

दावा अंतर्गत धारा 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्रीमति संतोष पंवार, अभिभाषक, वादी के लिए।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वयं उपस्थित।
3. राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से उनके विद्वान दिनांक.......... अभिभाषक श्रीमति संतोष पंवार द्वारा उक्त वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, दिनांक 26.12.2022 को इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रिड़मलसर खेत खसरा नंबर 3/2 तादादी 1.52 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3/3 तादादी 13.90 कुल किता 2 कुल तादादी 15.42 हैक्टर मुताबिक राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का 188/771 हिस्सा का खाता विभाजन किया जाकर अलग खाता कायम कर खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

2. प्रतिवादीगण को बिनावर कायमी तनकीयात बअखज तलबाना जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 03.01.2023 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर प्रकरण में आपसी सहमति से राजीनामा होने पर राजीनामा अनुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रस्तावित खाता विभाजन नक्शा पर उभयपक्ष को सुना गया। राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। सुन व समझकर पक्षकारान ने राजीनामा होना स्वीकार किया। तदनुसार राजीनामा दिनांक 03.01.2022 को तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के हिस्से की भूमि इस प्रकार है कि वादी लेखराम पुत्र खेमाराम के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 3/3 तादादी 3.89 हैक्टर नक्शा अनुसार दो भागों में, प्रतिवादी संख्या 1 अनिता देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 3/2 तादादी 0.38 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 पदमा पत्नि स्व. किशनाराम, ओमप्रकाश, किरण, गुड्डी, प्रभूराम, भागीरथ पिसरान किशनाराम का संयुक्त हिस्सा खसरा नंबर 3/2 तादादी 1.14 एवं खसरा नंबर 3/3 तादादी 3.04 हैक्टर कुल तादादी 4.18 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 झुम्मा देवी पत्नी भीखाराम, बीरबल, रामचन्द्र पुत्रगण भीखाराम का संयुक्त हिस्सा खसरा नंबर 3/3 तादादी 2.03

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 गणेशाराम पुत्र खेमाराम के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 3/3 तादादी 3.99 हैक्टर तथा पक्षकारान/खातेदारान की पहुंच हेतु रास्ता खसरा नंबर 3/3 की 0.95 हैक्टर भूमि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तावित नक्शा अनुसार छोड़ते हुए राजीनामा किया गया है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा खातेदारान का अलग–अलग खाता कायम करने एवं नक्शा अनुसार खातेदारान की पहुंच हेतु रास्ता छोड़ते हुए खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार खाता विभाजन की अंतिम डिक्री दी जानी मंजूर की जाती है। राजीनामा एवं प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय, डिक्री मय राजीनामा एवं प्रस्तावित नक्शा की प्रमाणित प्रति वास्ते अमल दरामद तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री की पालना 7 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करावें।

5. निर्णय आज दिनांक 3/1/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर, बीकानेर शहर
सहायक

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर श.
सहायक कलेक्टर
शहर बीकानेर

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत.......... **सहायक कलक्टर बीकानेर (शहर)**

बइजलास : श्रीमति बिन्दु खत्री, आर.ए.एस.

लेखराम -:बनाम:- अनितादेवी वगैरह

<u>राजस्व वाद संख्या:- 2022 / 512</u>

<u>दावा अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्रीमति संतोष पंवार, अभिभाषक वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वयं एवं प्रतिवादी राज्य की ओर से पेरोकारराज मुलायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा डिक्री दी जाती है वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा एवं नक्शा अनुसार खातेदारान का अलग-अलग खाता कायम करने एवं नक्शा अनुसार खातेदारान की पहुंच हेतु रास्ता छोड़ते हुए खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार खाता विभाजन की अंतिम डिक्री दी जानी मंजूर की जाती है। राजीनामा एवं प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय, डिक्री मय राजीनामा एवं प्रस्तावित नक्शा की प्रमाणित प्रति वास्ते अमल दरामद तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री की पालना 7 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

आज दिनांक 3/1/23 को डिक्री जारी की बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक गई।

सहायक कलक्टर
बीकानेर